(वाद सं0.-2111/4/23/2022)

16.09.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, नीलमणि श्रीवास्तव, सेवानिवृत फोरमैन, संचरण जोन, मुजफ्फरपुर के दिनांक–31.03.2020 को सेवानिवृत्त होने के पश्चात् अब तक पुनरीक्षित महंगाई भत्ता के दर से उपदान एवं अवकाश नगदीकरण का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **उप सचिव**, **बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी को पुनरीक्षित उपादान व पुनरीक्षित अवकाश नगदीकरण के मद में क्रमशः 52008/–रूपये तथा 31520/– रूपये का भुगतान चेक संख्या–495065, दिनांक–25.07.2022 के द्वारा किया जा चुका है।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **उप सचिव**, **बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, **उप सचिव**, **बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक